कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर

फोन नं. 07792–299180, ई–मेल dcourtnar-mp@nic.in

// अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी विज्ञप्ति //

क्रमांक/158/ नीलामी / 2023 नरसिंहपुर दिनांक 09.08.2023

प्रति,

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नजारत अनुभाग की अनुपयोगी सामग्रियों जैसी स्थिति में है, को निष्प्रयोजित राशि रूपये 7820/– सात हजार आठ सौ बीस रूपये मात्र में दिनांक **16.08.2023** को प्रातः 11 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नजारत अनुभाग में राशि रूपये 3000/– तीन हजार रूपये मात्र अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

अनुपयोगी सामग्रियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	संख्या	ऑफसेट मूल्य	कुल ऑफसेट मूल्य
1	लोहा कूलर	03	400	1200/–
2	लोहा कुर्सी	17	50	850/–
3	लकड़ी कुर्सी	12	60	720/–
4	लकड़ी बेंच	04	150	600/–
5	लोहा अलमारी	01	700	700/–
6	लकड़ी अलमारी	01	1000	1000/–
7	टायपिंग मशीन	11	250	2750/–
कुल योग				**7820/–**

नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. अनुपयोगी सामग्रियों का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य रूपये 7820/– सात हजार आठ सौ बीस रूपये (शासकीय बोली) नियत है।
2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय सामग्रियों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि 3000/– तीन हजार रूपये मात्र नगद राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नजारत अनुभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत की जमा नगद राशि नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात लौटाया जावेगा।
4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा ''विभागीय नीलाम समिति '' कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश नरसिंहपुर को प्राप्त होगा।

5. नीलाम के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अनुपयोगी शासकीय सामग्रियॉ केता को प्रदान की जावेगी।

7. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही बोली की सम्पूर्ण राशि ऑनलाईन पेमेंट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम से शासकीय मद में चालान के माध्यम से जमा करवाकर अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात कर दी जावेगी।

8. संबंधित अनुपयोगी शासकीय सामग्रियॉ भौतिक निरीक्षण हेतु नवीन जिला न्यायालय भवन परिसर नरसिंहपुर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलाम में उपस्थित होकर अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलाम संबंधी शर्ते स्वीकार कर ली गई है, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों का मिलान कर प्राप्ति अभि–स्वीकृति नजारत अनुभाग नरसिंहपुर को सौंपे जाने के पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त मान्य नहीं की जावेगी।

11. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलाम समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

Sd

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

पृष्ठां.क. 159/नीलामी/2023 नरसिंहपुर दि. 09.08.223

1. जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पोर्टल टेंडर पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर नीलामी इश्तेहार प्रसारण हेतु प्रेषित।
3. जिला न्यायालय/कलेक्टर कार्यालय/अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. बस स्टेण्ड/रेल्वे स्टेशन एवं स्थानीय बाजार में चस्पा किये जाने हेतु।
5. अध्यक्ष, नीलाम समिति/विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) नरसिंहपुर की ओर प्रेषित।
6. सदस्य नीलाम समिति/प्रथम अति. जिला न्यायाधीश नरसिंहपुर की ओर प्रेषित।
7. सदस्य नीलाम समिति/मुख्य न्यायिक मजि0 नरसिंहपुर की ओर प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग नरसिंहपुर की ओर आवश्यक एवं योग्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर 9/8/2